संसाधनों की कमी नहीं

ध्यान रहे कि कोरोना से हुई मौतों के मामले में संबंधित परिवारों को प्रति परिवार 4 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह भी कहा जा चुका है कि अगर यह बहुत ज्यादा है तो सरकार अपनी तरफ से कोई राशि बताए, जिससे इन परिवारों की मदद हो जाए और उस पर असह्य बोझ भी न पड़े।

मोहन जोशी।

कोरोना महामारी का शिकार हुए लोगों के परिवारों को सहायता देने के सवाल पर केंद्र सरकार का रुख हैरान करता है। पहले तो उसने कहा कि इतना बड़ा खर्च उठाना उसके बूते की बात नहीं है। बाद में इस पर स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने माना कि समस्या संसाधनों की कमी की नहीं है। पैसे तो उसके पास हैं, लेकिन वह इन्हें स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने, ऑक्सिजन और टीके की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने जैसे कार्यों में लगाना चाहती है। स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने जैसे उद्देश्यों की अहमियत से भला कौन इनकार कर सकता है, ये काम सरकार की प्राथमिकताओं में होने ही चाहिए, लेकिन सवाल इस मान्यता पर जरूर उठता है जो यह संकेत दे रही है कि अगर कोरोना से पीड़ित जरूरतमंद परिवारों को मदद दी जाएगी तो सरकार इन बड़े उद्देश्यों पर काम नहीं कर पाएगी। ध्यान रहे कि कोरोना से हुई मौतों के मामले में संबंधित परिवारों को प्रति परिवार 4 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह भी कहा जा चुका है कि अगर यह बहुत ज्यादा है तो सरकार अपनी तरफ से कोई राशि बताए, जिससे इन परिवारों की मदद हो जाए और उस पर असह्य बोझ भी न पड़े।

सरकार ने कहा भी है कि वह इस पर विचार कर रही है कि रकम कितनी हो। तब तक अगर 4 लाख रुपये को अंतिम मान कर चलें और कोरोना से हुई मौतों की संख्या पांच लाख मान लें– वैसे आधिकारिक तौर पर फिलहाल यह आंकड़ा चार लाख से कम ही है– तो भी रकम होती है 20,000 करोड़ रुपये। यह देश के जीडीपी के एक फीसदी का एक हजारवां हिस्सा है। यह कहना हास्यास्पद है कि सरकार इतने बड़े खर्च का बोझ नहीं उठा सकती। यह मान लेना भी तर्कसंगत नहीं होगा कि मदद के रूप में दी गई यह राशि पानी में चली जाएगी और इसका अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में कोई योगदान नहीं होगा। जिन परिवारों तक भी यह मदद पहुंचेगी, वे निश्चित रूप से इस रकम को खर्च करेंगे, जिससे बाजार में मांग पैदा होगी। यह शेयर बाजार की उठा–पटक की भेंट नहीं चढ़ने वाली। दूसरे शब्दों में, जिसे सरकार का एक विभाग मुआवजा मान रहा हो, उसे दूसरा विभाग आर्थिक पैकेज के रूप में देख सकता है। वैसे भी महामारी से पीड़ित आबादी को सरकार की तरफ से कोई मदद देनी है या नहीं, यह पूरी तरह से राजनीतिक सवाल है।

वित्तीय अनुशासन से जुड़ी सामान्य कसौटियों को असाधारण चुनौतियों के मौजूदा दौर में किस हद तक मान्य या अमान्य करना है, यह तय करना भी आज राजनीतिक नेतृत्व की एक अहम जिम्मेदारी हो गई है।

स्वच्छ आसन

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

गृहस्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ–पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा–सत्कार में कोई कमी न छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृहस्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले – आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घरा लेकर अभी–अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गृहस्वामी एकदम चकित रह गया लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया।

संपादकीय

कहीं सवर्ण, कहीं अवर्ण

हिंदुओं में लगभग 20 हजार जातियां और उपजातियां हैं। यदि उनके गोत्र, उपनाम, कुल, कबीलों आदि को गिनें तो उनकी संख्या लगभग 50 लाख हो जाती है। इस्लाम में कहीं भी जात नहीं है, लेकिन भारत के मुसलमान भी जातिवाद के शिकार हैं। हमारे सिख और ईसाई भी इससे मुक्त नहीं हैं। इसके अलावा, सही अर्थों में जातीय जनगणना हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक प्रांत में जो जाति सवर्ण है, वही दूसरे प्रांत में अवर्ण है। अपने आप को ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य कहने वाले कुछ वर्ग भी तड़प रहे हैं कि उनको भी पिछड़ों में जोड़ लिया जाए। ताकि वे भी आरक्षण की रेवड़ियों पर हाथ साफ कर सकें। बेहतर होगा कि मोदी सरकार अपने कौल पर टिकी रहे। 'मेरी जाति हिंदुस्तानी आंदोलन' के आग्रह पर 2010 में मनमोहन–सोनिया सरकार ने जातीय जनगणना बीच में ही रुकवा दी थी। यही नहीं 2014 में मोदी सरकार आई तो जो आंकड़े इकट्ठा किए गए थे, उन्हें भी प्रकाशित नहीं होने दिया। यही दृढ़ता उसे अब भी प्रदर्शित करनी होगी। उसे अपने पार्टीजनों को बताना होगा कि वह हिंदुत्व की राष्ट्रीय एकता की धारणा को छिन्न–भिन्न नहीं होने देगी और कांग्रेसियों को बताना होगा कि जैसे 1931 में गांधी और नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से जातीय जनगणना रुकवा दी थी, वैसे ही अब भी वे उसे अनुचित समझते हैं। कांग्रेस ने 11 जनवरी 1931 को 'जनगणना बहिष्कार दिवस' मनाया था। अब इस मुद्दे पर वह चुप क्यों है?

जातीय जनगणना के समर्थकों से कोई पूछे कि भारत के संविधान में कहां लिखा है कि जातियों की गणना की जाए या जातियों को आरक्षण दिया जाए।

मजबूरी में बनी अनुसूची

वेदप्रताप वैदिक।।

भारत में एक घनघोर असंवैधानिक मुहिम चल रही है और किसी भी पार्टी या नेता में दम नहीं है कि उसका विरोध करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य प्रमुख पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास यह अनुरोध लेकर आए कि वह सारे देश में जातीय जनगणना करवाएं। मोदी ने सबकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उनसे कुछ कहा नहीं। जातीय जनगणना के समर्थकों से कोई पूछे कि भारत के संविधान में कहां लिखा है कि जातियों की गणना की जाए या जातियों को आरक्षण दिया जाए। संविधान की धारा 46 में उन वर्गों को विशेष प्रोत्साहन देने की बात लिखी है, जो शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं।

संविधान में किसी भी जाति का नाम नहीं गिनाया गया है। 'अनुसूचित जाति' शब्द का प्रयोग जरूर किया गया है लेकिन कोई बताए कि 'अनुसूचित' नामक कोई जाति देश में है क्या? यह 'अनुसूचित' शब्द नया गढ़ा गया है। संविधान निर्माताओं की यह मजबूरी थी। उनके पास देश के अशिक्षितों और गरीबों के प्रामाणिक आंकड़े नहीं थे। इसलिए सही आंकड़ों के अभाव में उन्होंने उन सब जातियों की थोक में अनुसूची बना ली, चाहे उन जोड़े हुए लोगों में डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे सुशिक्षित और जगजीवनराम जैसे संपन्न लोग भी रहे हों।

1955 में पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष काका कालेकर ने राष्ट्रपति को अपनी जो रिपोर्ट दी थी, उसमें लिखा था कि पिछड़ेपन का निर्णय जाति के आधार पर करना असंभव है। आरक्षण के बारे में उन्होंने लिखा था कि हमारे द्वारा सुझाए गए समाधान रोग से भी बुरे हैं। इस प्रक्रिया के कारण करोड़ों अशिक्षितों और गरीबों को विशेष अवसर मिलने के बजाय इस वर्ग के मुट्ठीभर लोगों को कुछ सौ सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलने लगा। अब जो जातीय जनगणना की मांग हो रही है, उसका असली मकसद यही है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को किसी तरह बढ़वाया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने 50 प्रतिशत आरक्षण देने की जो बात कही है, वह पिछड़े वर्गों के लिए कही है। तो पिछड़े वर्गों की गणना जरूर की जाए! उसमें जाति कहां से आ टपकी? जो भी परिवार अशिक्षित और निम्न आय वाला हो, उसके लिए आरक्षण जरूर दिया जाए। उसका आधार जन्म नहीं, जरूरत हो। यदि कोई तथाकथित ऊंची जाति का परिवार हो और वह सामान्य सुविधाओं से वंचित हो तो उसे आरक्षण जरूर दिया जाए, लेकिन कोई तथाकथित नीची जाति का हो और संपन्न व सुशिक्षित हो तो उसे आरक्षण क्यों दिया जाए?

सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने से कितने लोगों का भला होगा? यदि हम हमारे करोड़ों पिछड़े हुए भाई–बहनों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो उन्हें शिक्षा और चिकित्सा में 70–80 प्रतिशत आरक्षण तक क्यों न दे दें? यदि उन्हें शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त मिले तो नौकरियों के लिए वे आपकी दया पर कतई निर्भर नहीं होंगे। वे अपनी योग्यता के आधार पर नौकरियां पाएंगे, व्यवसाय करेंगे और भारत को शक्तिशाली बनाएंगे। यदि जातीय जनगणना होती है तो भारतीय लोकतंत्र के लिए वह बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। जिस जातिवाद के उन्मूलन का बीड़ा डॉ. आंबेडकर और डॉ. लोहिया ने उठाया था, उसका जहर देश के कण–कण में फैल जाएगा। समतामूलक समाज का सपना ध्वस्त हो जाएगा। 74 साल की आधुनिकता पर पानी फिर जाएगा। देश के बच्चे–बच्चे में ऊंच–नीच का भेदभाव घर कर जाएगा।

अष्टयोग-4967

6		2	4	5		1
	27		32		34	
4	2	1		3	5	
	28	6	31	6	39	3
1	5		3		7	
3	33		31	7	34	5
	5		6			4

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4966 का हल

1	3	2	4	5	7	6
2	25	7	32	4	36	2
7	2	1	6	3	5	4
3	34	6	31	6	33	5
6	5	4	3	2	7	1
5	37	5	31	7	30	3
4	5	3	6	1	2	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

दीन-हीन की तरह रहना होगा

मोहन। एक–दूसरे से नफरत बढ़ेगी। यदि जातीय संकीर्णता मजबूत होगी तो पिछड़ी जातियों के लोगों को हर गैर–सरकारी क्षेत्र में वंचित और दीन–हीन की तरह रहना होगा। डॉ. लोहिया का यह कथन हम याद करें कि 'हिंदुस्तान की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण जाति–प्रथा है।' देश में राष्ट्रीय चेतना पर जातीय चेतना हावी हो जाएगी। हमारे नेताओं को अपनी जातियों के नाम पर थोक वोट कबाड़ने हैं। उनके लिए कुर्सी ही ब्रह्म है। बाकी सब मिथ्या है। अब प्रांतीय चुनाव सिर पर हैं। सभी पार्टियां थोक वोट के लिए लार टपका रही हैं। चुनाव तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन वे गहरे जातीय घाव छोड़कर जाएंगे। ये जातीय घाव राष्ट्रीय एकता में मवाद भर देंगे। राष्ट्रीय एकता तो सबसे ऊंची चीज है, लेकिन जातीयता इतनी भयंकर चीज है कि यह धार्मिक एकता के भी टुकड़े–टुकड़े कर सकती है। धर्म के नाम पर 1947 में भारत के दो टुकड़े हुए। अब जातियों के नाम पर कितने टुकड़े होंगे?